अनुदान संख्या 87 – लघु उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 87–MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	399,40,00		399,41,00	383,35,86	–16,05,14
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,43,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			15,00,00	15,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	3562.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–3562.00			
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	35522.00	38095.80	37649.63	–446.17
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	2572.80			

(I) 3572.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा;जिसमें से 3562.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा आंशिक निधियों का उपयोग किए जाने और शेष राशि व्यपगत न होने वाले पूल को अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''लघु उद्योग'' -

(क) ''राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड'' - 503.09 लाख रु. की बचत (2390.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऋण पात्रता स्कीम के लिए निधियां जारी न किए जाने, समूह विकास/प्रौद्योगिकी मानचित्रण के प्रति राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा दावे प्रस्तुत न किए जाने, प्रशासनिक खर्चों तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम पर व्यय को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सहमत न होने के कारण हुई।

(ख) ''परीक्षण केंद्र'' - 114.67 लाख रु. की बचत (355.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई और फील्ड परीक्षण केंद्र, बंगलौर द्वारा प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए समय की कमी की वजह से उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''छोटे और मध्यम उद्यमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन'' - 141.45 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ मामलों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''छोटे पैमाने के गांव तथा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र का सर्वेक्षण और अध्ययन'' - 168.17 लाख रु. की बचत

(I) Provision of Rs.3572.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.3562.00 lakhs alone accounted for under Major Head “2552” - “Other Expenditure - Provision for North Eastern Region and Sikkim” - due to utilisation of part funds by re-appropriation to meet the expenditure on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads and surrender of balance amount to non-lapsable pool.

(II) Under Major Head “2851” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Small Scale Industries”-

(a) “National Small Industries Corporation Ltd.” – saving of Rs.503.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2390.00 lakhs) was due to non-release of funds for Credit Rating Scheme, non preferring of claims by National Small Industry Corporation Ltd. towards cluster Development/Technology mapping, administrative expenses and non-agreement by the Ministry of Finance towards expenditure meeting on Voluntary Retirement Scheme.

(b) “Testing Centres”- saving of Rs.114.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.355.00 lakhs) was due to non-procurement of the equipments owing to paucity of time for completion of the procedures and formalities by Regional Training Centre, Chennai and Field Testing Station, Bangalore.

(B) “Other Expenditure”–

(a) “Promoting International Co-operation among small & medium Enterprises” – saving of Rs.141.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non- approval of some cases by the competent authority.

(b) “Survey and studies of the Small Scale Village and Rural Industries Sector” – saving of Rs.168.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs)

(200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 247.50 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (149.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2851'' - ''अन्य व्यय - असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों का राष्ट्रीय आयोग'' के अंतर्गत दिसंबर, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 142.99 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''लघु उद्योग'' -

(क) ''लघु उद्योग सेवा संस्थान'' - 207.77 लाख रु. का अधिक व्यय (3927.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय से संबंधित स्थापना पर निधियों का उपयोग किए जाने और साथ ही किराया, दरों एवं करों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) ''ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का अध:संरचनात्मक विकास''- 321.20 लाख रु. का अधिक व्यय (1303.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''औजार कक्ष'' - 398.91 लाख रु. का अधिक व्यय (2485.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम'' - 2000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (17629.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''प्रशिक्षण संस्थान'' - 199.00 लाख रु. का अधिक व्यय (425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

was due to non-receipt of adequate proposals.

(III) Under three heads savings of Rs.247.50 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 16 percent to 22 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.149.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2004 under Major Head "2851" - "Other Expenditure – National Commission on Enterprises in the Unorganised Informal Sector". Actual excess, however, was Rs.142.99 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851" - under the following heads:-

(A) "Small Scale Industries" -

(a) "Small Industries Service Institutes"- excess of Rs.207.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3927.00 lakhs) was due to utilisation of funds on establishment related expenditure on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also on account of increased rent, rates and taxes.

(b) "Infrastructural Development of SSI in Rural Areas" – excess of Rs.321.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1303.00 lakhs);

(c) "Tool Rooms" – excess of Rs.398.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2485.00 lakhs);

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Credit Guarantee Scheme for SSI Sector" - excess of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17629.00 lakhs); and

(b) "Training Institutions"- excess of Rs.199.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.425.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above four heads was due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on Projects/Schemes from the concerned functional heads for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	1350.00	1500.00	1500.00	. .
पु.	R.	150.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	150.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–150.00			

(I) 150.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और मुख्य शीर्ष "4851" - "लघु उद्योग - राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गया।

(I) Provision of Rs.150.00 lakhs remained wholly unutilised under Major Head "4552" - "Other Expenditure – Provison for North Eastern Region and Sikkim" and was offset by excess under Major Head "4851"-"Small Scale Industries – National Small Industries Corporation Ltd." - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on Projects/ Schemes from the concerned functional heads for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.